

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/153125/2022 योजना जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रुड़की-लक्सर-वालावाली मार्ग राज्यमार्ग संख्या 28 के कि०मी० 01 से कि०मी० 19.00 तक पेब्ड सोल्डर के मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के लिए वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त 14.64 है० अवनत वन भूमि चिड़ियापुर रेंज के अन्तर्गत कोटावली कक्ष संख्या 9 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के स्वामित्व के नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4/20/29 के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

वन संरक्षक

उप वन संरक्षक
उप वन संरक्षक
हरिद्वार, हरिद्वार



कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक :

/12-1,

दिनांक

2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड, हरिद्वार।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रपत्र-21

परियोजना का नाम :- जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019-20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रुड़की-लक्सर-बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

हस्ताक्षर

Executive Engineer
A.H. Division, PWD
Dehradun

प्रपत्र-21

परियोजना का नाम :- जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019-20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रुड़की-लक्सर-बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

— हस्ताक्षर —

W

Executive Engineer
ALH. Division, PWD
Dated: _____

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019-20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रुड़की-लक्सर-बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

नगर पंचायत का नाम-नगर पंचायत, ढण्डेरा

तहसील हरिद्वार जिला हरिद्वार

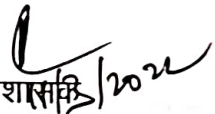
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रुड़की-लक्सर-बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि 7.32 है0 का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगरवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत, ढण्डेरा
हरिद्वार।

अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत, ढण्डेरा
(हरिद्वार)


प्रशासक
नगर पंचायत, ढण्डेरा
हरिद्वार।

प्रशासक
नगर पंचायत, ढण्डेरा
(हरिद्वार)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019-20) केन्द्रीय सडक योजना के अन्तर्गत रुडकी-लक्सर-बालावाली मार्ग राज्य मार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेड सोल्डर से मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम 2066 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

बसेडी
ग्राम पंचायत नमता खखी

तहसील रुडकी जिला हरिद्वार।

उत्तराखण्ड में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रुडकी-लक्सर-बालावाली मार्ग, राज्य मार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेड सोल्डर से मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि 7.32 है0 का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगरवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

दिनांक-7-4-21
ग्राम पंचायत नमता खखी
वि.सं. 0
बसेडी (हरिद्वार)
वन अधिकारी

प्रशासक/सहायक विकास अधिकारी (वि.)
वि.सं.-लक्सर
जनपद-हरिद्वार
14/3/22

अनापत्ति प्रमाण पत्र

56

परियोजना का नाम:- जपनद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019-20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रुडकी-लक्सर-बालावाली मार्ग राज्य मार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम 2066 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

बहादुरपुर
ग्राम पंचायत नमत्त इमरली

तहसील रुडकी जिला हरिद्वार।

उत्तराखण्ड में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रुडकी-लक्सर-बालावाली मार्ग, राज्य मार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि 7.32 है0 का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगरवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

15/03/22
प्रशासक/सहायक विकास अधिकारी
वि. ख. लक्सर
जिला रुडकी

15/3/22
प्रशासक/सहायक विकास अधिकारी (पि)
वि. ख. लक्सर
जिला रुडकी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

57

परियोजना का नाम:- जपनद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019-20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रुडकी-लक्सर-बालावाली मार्ग राज्य मार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेव्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

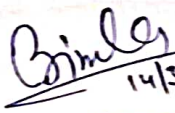
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत नगला इमरती

तहसील रुडकी जिला हरिद्वार।

उत्तराखण्ड में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रुडकी-लक्सर-बालावाली मार्ग, राज्य मार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेव्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि 7.32 है0 का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगरवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।


14/3/2022
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नगला इमरती
वि0ख0 नारसन (हरिद्वार)


14/3/2022
राज्य (10)
नगला इमरती

प्रपत्र-21

परियोजना का नाम :- जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019-20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रुड़की-लक्सर-बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेड्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

कार्यालय सहायक अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लौन्गनिठि, देहरादून के पत्रांक 38/1C दिनांक 13/02/2022 के द्वारा केन्द्रीय मार्ग निधि योजना अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में रुड़की-लक्सर-बालावाली मार्ग के किमी 1 से 19 में वन भूमि पत्रावली गठित करने हेतु पत्र के साथ प्रपत्र-21 खलमन करते हुए अतिदान प्रस्तुत किया है। जिसके सम्बन्ध में वन पत्रावली गठित किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र को प्रतिदस्ताक्षरित कर पेशित किया जा रहा है।

10-02-2022
अधिसासी अधिकारी

नगर पंचायत
लण्डौरा (हरिद्वार)

अध्यक्ष

नगर पंचायत लण्डौरा
(जिला-हरिद्वार)